

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-235108, 234553,

फैक्स नं. 07522-244553

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com

Website- www.datiamedicalcollege.com

datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड - 475661

क्रमांक - 4403 / द.चि.म. / 2018

दतिया, दिनांक- 19/07/2018

सीनियर रेसीडेंट के लिये विज्ञापन

संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 950-56/स्था/राज/2017 भोपाल दिनांक 29.09.2017 में प्रदत्त अनुमति के आधार पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर सीनियर रेसीडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) तीन वर्ष हेतु भरे जाने के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **साक्षात्कार सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को आयोजित किए जाएंगे जब तक कि पदों की पूर्ति न हो जावे।** प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु ही की जावेगी। विभागाध्यक्ष के अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक-एक वर्ष हेतु आगे बढ़ाई जावेगी।

सीनियर रेसीडेंट (निश्चित वेतन रु. 49000/- प्रतिमाह)

क्र.	विभाग का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	Pediatrics	2	1	—	—	1
2	T.B. & Chest	1	1	—	—	—
3	Psychiatry	1	1	—	—	—
4	Orthopedics	2	1	—	—	1
5	OBG	2	1	—	—	1
6	Anaesthesia	2	1	—	—	1
7	Radiodiagnosis	2	1	—	—	1
TOTAL		12	7	—	—	5

(Female) महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर एम.सी.आई. के आगामी निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों को पुरुष वर्ग से भरा जा सकेगा।

साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

अभ्यर्थी, आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार हेतु नियमानुसार डिमांड ड्राफ्ट, आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अधिष्ठाता कार्यालय में प्रत्येक बुधवार को सुबह 10.00 बजे उपस्थित होवे। आवेदन पत्र अपरान्ह 01 बजे के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

सीनियर रेसीडेंट (डेंटिस्ट्री) के साक्षात्कार की सूचना वेबसाइट पर पृथक से अपलोड की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक एफ-4-7/2/55 दिनांक 25.08.2017 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि उन्हें बांड अवधि के बराबर, अवधि तक इस महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्त लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।
नोट—

1. सभी प्रकार का आरक्षण म.प्र. शासन के नियमानुसार होगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 6% प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
4. यदि आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी जब तक कि उक्त पदों के लिये योग्य उम्मीदवार नहीं मिल जाते। संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आवेदन करने पर संबंधित सीट मूल श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मात्र से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता। साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र की समस्त अर्हताएं पूर्ण करना अनिवार्य है।
6. अपूर्ण/रिक्त आवेदन पत्र साक्षात्कार हेतु स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. **अवधि :-** सीनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक होने व विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर 01-01 वर्ष समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
2. **नियुक्ति का तरीका -** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा दी जावेगी।
3. **आवेदन शुल्क-** सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 750/- एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500/- राशि का बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के नाम से दतिया में देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नं. लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में ड्राफ्ट की राशि लौटायी नहीं जायेगी।
4. **शैक्षणिक योग्यता :-** जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले तीन वर्ष के अन्दर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के पात्र होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्रीधारी अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने म.प्र. के चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
5. अन्य संस्था द्वारा कदाचार के कारण, पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
6. **यात्रा भत्ता :-** साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें :

1. इन चिकित्सकों को प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडीकल काउंसिल अथवा मेडीकल काउंसिल ऑफ इण्डिया में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं हैं।
9. अधिष्ठाता के आदेशानुसार एवं संस्था की आवश्यकतानुसार कार्य सुविधा की दृष्टि से चिकित्सकों को किसी भी अन्य विभाग में पदस्थ किया जा सकता है।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

दिनांक 19.07.2018

क्रमांक-4403-12 /द.चि.म./2018
प्रतिलिपि-

1. श्रीमान प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
2. श्रीमान आयुक्त महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
3. श्रीमान संभाग आयुक्त, संभाग ग्वालियर, ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
4. श्रीमान संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
5. श्रीमान कलेक्टर, जिला दतिया म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. श्रीमान निजसचिव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. निजसचिव मंत्री, जल संसाधन एवं जनसंपर्क, संसदीय कार्य मंत्री की ओर सूचनार्थ।
8. श्रीमान संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग, ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
9. श्रीमान संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, दतिया म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)